संख्या जी-2-1070/दस-2007-333-86

प्रेषक,

डी० दीप्तिविलास,
प्रमुख सचिव-II
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 6 जुलाई, 2007

विषयः—पदोन्नति पर मूल नियम 22-बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि का विकल्प।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या जी-2-854/दस-333-86, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 22-बी के अन्तर्गत सरकारी सेवक को उच्च पद पर नियुक्ति/पदोन्नति पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प की सुविधा प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था के तहत एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है, कि उक्त शासनादेश के अनुसार वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प, किसी अप्रत्याशित घटनाक्रम अथवा नियमों में परिवर्तन की स्थिति में, बदलने की अनुमति न दिए जाने के कारण संबंधित सेवक को हानि होती है।

2—अतः राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम अथवा नियमों में परिवर्तन हो जाने पर, यदि सरकारी सेवक, ऐसे किसी अप्रत्याशित घटनाक्रम अथवा नियमों में कोई परिवर्तन हो जाने के बारे में आदेश जारी किए जाने के एक माह के भीतर अपना वेतन, शासनादेश दिनांक 17 सितम्बर, 1988 के अनुसार निर्धारित करवाने का अपना पहले चुना गया विकल्प बदलने की प्रार्थना करता है तो संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे विकल्प परिवर्तन की प्रार्थना पर गुणावगुण के आधार पर उसे स्वीकार किए जाने की जाँच पड़ताल की जाय और उसके बारे में औचित्य स्थापित होने पर वित्त विभाग से अनुमोदन लिया जाय। यदि संबंधित सेवक को अपना विकल्प नये सिरे से चुनने देना अनुमोदित किया जाय तो सरकारी सेवक द्वारा इस प्रकार चुन लिया गया विकल्प अंतिम माना जाय। पहले के ऐसे मामलों में विकल्प परिवर्तन की प्रार्थना इस शासनादेश के जारी होने के 90 दिन के भीतर किए जाने पर प्रशासकीय विभाग प्रस्ताव उपरोक्तानुसार वित्त विभाग को संदर्भित कर सकते हैं जिन पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायगा।

3—शासनादेश संख्या जी-2-854/दस-333-86, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,
डी० दीप्तिविलास,
प्रमुख सचिव-II।

पृष्ठांकन संख्या जी-2-1070(1)/दस-2007-333-86, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, 1 व 2, इलाहाबाद एवं 3 लखनऊ।
3—सचिव, राज्यपाल सचिवालय।
4—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, सचिवालय।

आज्ञा से,
धीरज पाण्डे,
अनुसचिव।

यी०एस०यू०पी०—ए०पी० 41 सा० वित्त—(814)—21-7-2007—10,000 प्रतियां(कम्प्यूटर/आफसेट)।